न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 89/2022 निर्णय दिनांकः– 08-07-2025
(जीसीएमएस संख्या 2022/323)

1. रामलाल पुत्र नानूराम (गोरखाराम) जाति सुथार निवासी चाचा नेहरू स्कूल के पास नोखा मंडी तहसील नोखा जिला बीकानेर।
2. रमणलाल पुत्र नानूराम (गोरखाराम) जाति सुथार निवासी चाचा नेहरू स्कूल के पास नोखा मंडी तहसील नोखा जिला बीकानेर।
3. मीरा पुत्री नानूराम (गोरखाराम) जाति सुथार निवासी चाचा नेहरू स्कूल के पास नोखा मंडी तहसील नोखा जिला बीकानेर।
4. फूसी पुत्री नानूराम (गोरखाराम) जाति सुथार निवासी चाचा नेहरू स्कूल के पास नोखा मंडी तहसील नोखा जिला बीकानेर।
5. बसंती पुत्री नानूराम (गोरखाराम) जाति सुथार निवासी चाचा नेहरू स्कूल के पास नोखा मंडी तहसील नोखा जिला बीकानेर।
6. चूकी पुत्री नानूराम (गोरखाराम) जाति सुथार निवासी चाचा नेहरू स्कूल के पास नोखा मंडी तहसील नोखा जिला बीकानेर।
7. मघी पुत्री नानूराम (गोरखाराम) जाति सुथार निवासी चाचा नेहरू स्कूल के पास नोखा मंडी तहसील नोखा जिला बीकानेर।

–अपीलांट्स

–बनाम–

1. तिलाराम पुत्र जोराराम जाति सुथार निवासी चाचा नेहरू स्कूल के पास नोखा तहसील नोखा जिला बीकानेर।
2. पन्नालाल पुत्र जोराराम जाति सुथार निवासी चाचा नेहरू स्कूल के पास नोखा तहसील नोखा जिला बीकानेर।
3. लालचन्द पुत्र जोराराम जाति सुथार निवासी चाचा नेहरू स्कूल के पास नोखा तहसील नोखा जिला बीकानेर। (मृतक)

3/1. अशोक पुत्र लालचन्द जाति सुथार निवासी चाचा नेहरू स्कूल के पास नोखा तहसील नोखा जिला बीकानेर।

3/2. शंकरलाल पुत्र लालचन्द जाति सुथार निवासी चाचा नेहरू स्कूल के पास नोखा तहसील नोखा जिला बीकानेर।

3/3. सीता पत्नी पूनम जाति सुथार निवासी चाचा नेहरू स्कूल के पास नोखा तहसील नोखा जिला बीकानेर।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

3/4. पींकू पुत्र पूनम जाति सुथार निवासी चाचा नेहरू स्कूल के पास नोखा तहसील नोखा जिला बीकानेर।

3/5. अनू नाबालिग पुत्री पूनम जरिये कुदरतवली माता पूनम जाति सुथार निवासी चाचा नेहरू स्कूल के पास नोखा तहसील नोखा जिला बीकानेर।

3/6. कुमकुम नाबालिग पुत्री पूनम जरिये कुदरतवली माता पूनम जाति सुथार निवासी चाचा नेहरू स्कूल के पास नोखा तहसील नोखा जिला बीकानेर।

4. चौथी देवी पत्नी हनुमानमल जाति सुथार निवासी चाचा नेहरू स्कूल के पास, नोखा तहसील नोखा जिला बीकानेर।

5. कमलचन्द पुत्र हनुमानमल जाति सुथार निवासी चाचा नेहरू स्कूल के पास, नोखा तहसील नोखा जिला बीकानेर।

6. मनोज पुत्र हनुमानमल जाति सुथार निवासी चाचा नेहरू स्कूल के पास, नोखा तहसील नोखा जिला बीकानेर।

7. भंवरलाल पुत्र हनुमानमल जाति सुथार निवासी चाचा नेहरू स्कूल के पास, नोखा तहसील नोखा जिला बीकानेर।

8. संतोष पुत्री हनुमानमल पत्नी दीपूराम हाल निवासी के सी नगर नागौर रोड, नोखा तहसील नोखा जिला बीकानेर।

9. सरला पुत्री हनुमानमल पत्नी रामचन्द्र जाति सुथार निवासी पलाना तहसील व जिला बीकानेर।

10. उर्मिला पुत्री हनुमानमल पत्नी बजरंगलाल जाति सुथार निवासी श्रीबालाजी तहसील व जिला नागौर।

11. केशुराम पुत्र नानूराम जाति सुथार निवासी चाचा नेहरू स्कूल के पास, नोखा तहसील नोखा जिला बीकानेर।

12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोखा जिला बीकानेर।

13. उप पंजीयक नोखा जिला बीकानेर।

14. गोपाराम पुत्र चुतराराम जाति जाट निवासी हंसासर तहसील नोखा जिला बीकानेर।

15. मेघाराम पुत्र चुतराराम जाति जाट निवासी हंसासर तहसील नोखा जिला बीकानेर।

16. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक जरिये शाखा प्रबंधक शाखा नोखा जिला बीकानेर।

–रेस्पोडेन्टस

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अपील विरुद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 31–08–2022
उपखण्ड अधिकारी, नोखा

उपस्थितः–

1. श्री सीताराम बिश्नोई, अभिभाषक अपीलांट्स
2. श्री दिनेश गहलोत, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2, 4 ता 9
3. श्री ओमप्रकाश जाखड, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 14, 15

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, नोखा के निर्णय व डिक्री दिनांक 31–08–2022 जिसके द्वारा अपीलांटस का दावा आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष को सुना गया।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने बहस करते हुए कथन किया कि ग्राम हंसासर के पुराना खसरा नम्बर 457 तादादी 46 बीघा 3 बिस्वा भूमि गोरखाराम के तीन पुत्रों धन्ना, जोरा व नानू के नाम के नाम खातेदारी में अंकित रही है। जोरा के स्वर्गवास पश्चात वादगत भूमि उसके वारिसों के नाम अंकित हुई। गोरखाराम के तीनों वारिसान का नाम सम्वत 2010 से 2046 तक लगातार दर्ज रहा लेकिन दौराने सेटलमेंट वादगत भूमि का विभाजन बताते हुए अपीलांट के पिता का नाम राजस्व रिकोर्ड से हटा दिया जिसकी जानकारी होने पर अपीलांट ने अदालत मातहत के समक्ष घोषणा व विभाजन बाबत दावा पेश किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के आधार पर अपीलांट का दावा खारिज कर दिया जो विधिविरूद्ध है। दौराने सेटलमेंट सेटलमेंट कर्मचारियों ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर तथाकथित विभाजन से अराजी जैर को जोराराम एवं धन्नाराम के वारिसों के नाम दर्ज कर दी तथा अपीलांट के पिता नानू पुत्र गोरखा का नाम हटा दिया गया । जबकि मौके पर

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

आराजी जैर अपील के 1/3 हिस्से पर अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 11 आज भी शांतिपूर्वक काबिज काश्त चले आ रहे है। सैटलमेंट को किसी भी प्रवष्टि को बदलने का अधिकार नहीं है उसके उपरान्त भी उन्होंने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर प्रवष्टि बदलते हुए अपीलांट के पिता का नाम राजस्व रिकोर्ड से हटा दिया गया। जिसका दावा प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स का दावा बार्ड बाई लॉ होने के आधार पर खारिज कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश 7 नियम 11 के प्रार्थना पत्र के विनिश्चय से पूर्व वादी का वादपत्र देखा जाना चाहिए जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री जारी करने से पूर्व वादी का वादपत्र नहीं देखते हुए वादपत्र के साथ सलंग्न दस्तावेजों पर निर्णय पारित किया है। आगे उन्होंने कथन किया कि सेटलमेंट ने अपने आदेश से सिर्फ सादे कागज पर प्राप्त आवेदन पर खसरा विभाजन कर दिया जबकि ऐसा कोई अधिकार उनको हासिल नही था। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह भी अंकित किया है कि वादी द्वारा 28 वर्ष पश्चात दावा प्रस्तुत किया गया है जबकि धारा 88 आरटीए में मियांद अधिनियम लागू ही नहीं होता है। आदेश 7 नियम 11 का प्रश्न विधि व तथ्य का मिश्रीत प्रश्न है जिसे तनकीहात कायम कर दोनों पक्षों द्वारा साक्ष्य लेकर ही निर्णीत किया जा सकता था मगर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तमाम विधिक प्रकिया अपनाये बिना ही वादी का वादपत्र खारिज करने के उद्देश्य मात्र से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे। अभिभाषक अपीलांट्स ने अपने कथनों के समर्थन में एआईआर 2024 एससी पेज 700, आरबीजे 2009 पेज 310, आरएलडब्ल्यू 2011 पार्ट।। पेज 1291, आरबीजे 1998 पेज 274, आरबीजे 1998 पेज 290, आरएलडब्ल्यू 2006 पेज 1127, आरएलडब्ल्यू 2009 पेज 778, आरएलडब्ल्यू 2013 पेज 74, आरआरडी 1996 पेज 457, आरबीजे 2004 पेज 388, आरएलडब्ल्यू 2011 पार्ट । पेज 455, आरआरटी 2019 पार्ट। पेज 597, आरएलडब्ल्यू 2008 पेज 1037 आदि के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बहस करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त भूमि धन्ना, जोरा के नाम से संयुक्त खातेदारी अंकित चली आ रही है जिसका सभी भाईयों में आपस में पारिवारिक बंटवारा करके नोखा मण्डी में स्थित अचल सम्पति को पूर्वज नानूराम जो अपीलांट्स

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

के पिता है, के हक में छोड़ दी थी इसी प्रकार नानूराम ने उक्त खातेदारी भूमि में अपना हक व हिस्सा अपने दोनों भाईयों धन्नाराम व जोराराम के हक में छोड दिया था तब से इस पारिवारिक सेटलमेंट के आधार पर सभी पक्ष अपने–अपने हक व हिस्से में आई सम्पति पर काबिज चले आ रहे थे और उनके जीवन काल में कभी कोई इस पारिवारिक विभाजन पर कोई उग्र आपत्ति नहीं की गई। दौराने सेटलमेंट राजस्व रिकोर्ड में नानूराम पूर्वज का नाम अंकित चला आ रहा था। जिसको हटाकर दोनो भाईयों के वारिसान के नाम से अंकित करने हेतु तत्कालीन सहायक भू–प्रबंध अधिकारी बीकानेर को खाता दुरूस्त करने हेतु आवेदन किया था। जिस पर तत्कालीन अमीन की रिपोर्ट ली गई तथा नानूराम के बयान लेकर सभी की सहमतिसे नानूराम का नाम हटाकर धन्नाराम व जोराराम के वारिसान के नाम से वादगत भूमि अंकित करने का आदेश सहायक भू–प्रबंध अधिकारी बीकानेर द्वारा दिया गया जिसके आधार पर राजस्व रिकोर्ड में धन्नाराम व जोराराम के वारिसान का नाम स्वीकृत किया गया था जिसका ज्ञान नानूराम तथा नानूराम के स्वर्गवास पश्चात उसके वारिसान को शुरू से ही रहा है।

आगे उन्होंने कथन किया कि अपीलांट्स के पूर्वज नानूराम द्वारा अपने जीवनकाल में इस आदेश के विपरीत कभी कोई कथन नहीं किया गया जिससे स्पष्टतया सिद्ध है कि नानूराम पूर्वज की पूर्ण सहमति रही है इसलिए अपने पिता की सहमति के विपरीत अब उसके उत्तराधिकारियों को आपत्ति करने का कोई अधिकारी नहीं है। इसलिए अब वादगत भूमि में वह किसी प्रकार का कोई क्लेम करने के अधिकारी नहीं है। इन्हीं तथ्यों के मध्यनजर अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट अंकित किया है कि दिनांक 02–02–1994 को किये गये आदेश के विरूद्ध 28 वर्षों तक चुप रहना यह इंगित करता है कि अपीलांट्स की पूर्ण सहमति रही है। परन्तु इतने वर्षो पश्चात अपने पिता की सहमति होते हुए भी उनके कथनों के विपरीत जाकर अधीनस्थ न्यायालय में वाद किया गया है वो बार्ड बाई लॉ की श्रेणी में आने के कारण खारिज किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के प्रावधानों के अनुरूप ही प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अपीलांट्स का दावा खारिज किया है। अतः अपीलांट्स की अपील खारिज फरमाई जावे।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया। अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन किया गया।

6. हस्तगत् प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स का दावा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाकर, खारिज किया गया है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का स्कोप अत्यंत सीमित होता है। इसमें वादपत्र में अभिकथनों के सही होने की अभिधारणा कर प्रार्थना पत्र पर विनिश्चय किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 का अवलोकन किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र दो आधारों पर प्रस्तुत किया गया है:–

1. वादी को वाद कारण हासिल नहीं है।
2. वादी द्वारा प्रस्तुत वाद विधि द्वारा वर्जित है।

इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया गया। यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 के निस्तारण हेतु केवल वादपत्र ही पढा जायेगा। वादपत्र के पैरा संख्या 15 व 17 में वादकारण हासिल होने का उल्लेख किया गया है। वादपत्र के अभिकथनों के समर्थन में दस्तावेज नहीं देखे जा सकते। उनके सही होने की उपधारणा की जाती है। अतः वादपत्र के अवलोकन से वादकारण हासिल होना पाया जाता है।

जहां तक वाद विधि द्वारा वर्जित होने का प्रश्न है, प्रार्थना पत्र में यह अंकित किया गया है कि सहायक भू–प्रबंध अधिकारी के आदेश दिनांक 02–02–1994 के आधार पर वादगत भूमि का इंतकाल दर्ज किया गया था। जिसकी अपील न किये जाने से यह आदेश फाइनल आदेश है। इस पर न्यायालय का अभिमत यह है कि प्रथम तो प्रार्थना पत्र में तथाकथित आदेश दिनांक 02–02–1994 का उनवान, मुकदमा संख्या इत्यादि नहीं है। पत्रावली पर उक्त आदेश की कोई प्रमाणित प्रतिलिपि भी उपलब्ध नहीं है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

आदेश 7 नियम 11 का प्रश्न विधि व तथ्य का संयुक्त प्रश्न हे। इसका निर्धारण जवाब दावा पेश होने के पश्चात तनकियात कायम कर जरिये साक्ष्य ही किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने यह कहते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 स्वीकार किया गया है कि दावा 28 वर्ष बाद में पेश किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के लिए मियांद अधिनियम बाधक नहीं है और ना ही आदेश 7 नियम 11 के प्रार्थना पत्र को निर्णीत करते समय इसे आधार बनाया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश 7 नियम 11 के प्रावधानों की सकारण व तार्किक विवेचन नहीं करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जोकि पुष्टि योग्य आदेश की श्रेणी में नहीं आने से निरस्त योग्य है।

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट्स की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, नोखा का अपीलाधीन आदेश दिनांक 31–08–2022 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे जवाबदावा लेकर, तनकियात कायम कर सर्वप्रथम कानूनी तनकी बनाकर जरिये साक्ष्य गुणावगुण पर उसका निर्णय करे कि आया प्रश्नगत भूमि का पूर्व में सहायक भू–प्रबंध अधिकारी द्वारा विभाजन हो चुका है और सहायक भू–प्रबंध अधिकारी को खसरा विभाजन का अधिकार था अतः वाद वादी पोषणीय है अथवा नहीं? तत्पश्चात वाद में नियमानुसार आगामी कार्यवाही करे।

8. निर्णय आज दिनांक 08-07-2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

डिकरी ब सीगे अपील

(ऑ. 41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'G' 9)

अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी मुकाम बीकानेर
बइजलास उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

रामलाल बनाम तिलाराम आदि
अपील संख्या 89/2022

बनाराजगी निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी, नोखा
मुवर्खे 31–08–2022

यह अपील ब–तारीख 08–07–2025 रूबरू हमारी, बहाजरी श्री अभिभाषक अपीलांट्स श्री सीताराम बिश्नोई, अभिभाषक रेस्पोडेन्टस श्री दिनेश गहलोत एवं श्री ओम जाखड़ पेश होकर हुक्म हुआ। जिसके अनुसार अपीलांट्स की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, नोखा का निर्णय व डिक्री दिनांक 31–08–2022 खारिज किया गया।

(खर्चा अपील हाजा का हल्व तफ्सीस जेरे तादादी मुबलिग .....–.....) रूपयें अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का .....–..... अदा करें।

बशब्द मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 08 माह जुलाई सन् 2025 को जारी किया गया।

मुहर

हस्ताक्षर राजस्व अपील प्राधिकारी,
बीकानेर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू.	पै.	रेस्पोडेन्ट	रू.	य पै.
1. स्टाम्प अपील..... 2. स्टाम्प वकालतनामा .... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत् ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालतनामा..... 2. अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील ..... मीजान		